भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4606
दिनांक 28 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

स्वाधार गृह योजना

4606. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केंद्र सरकार ने संवेदनशील महिलाओं के पुनर्वास के लिए तमिलनाडु में स्वाधार गृह योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान उक्त राज्य में स्वाधार गृह योजना के तहत आवंटित/उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु में वर्तमान में कार्यरत स्वाधार गृह केंद्रों की संख्या कितनी है और इन केंद्रों के माध्यम से कितनी महिलाओं को सहायता दी जा रही है; और

(घ) क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में तमिलनाडु में ऐसे केंद्रों की संख्या और क्षमता बढ़ाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): व्यापक 'मिशन शक्ति' के अंतर्गत, 'स्वाधार गृह'- कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए गृह और 'उज्जवला'- दुर्व्यापार से बचाई गई महिलाओं के लिए गृह की पूर्ववर्ती योजनाओं को मिला दिया गया है और अब इन्हें 'शक्ति सदन योजना' के रूप में जाना जाता है, जो दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित संकटपूर्ण परिस्थितियों में महिलाओं के लिए एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है। इसका उद्देश्य ऐसी कठिन

परिस्थितियों में महिलाओं के लिए सुरक्षित और सक्षम वातावरण बनाना है ताकि वे प्रतिकूल परिस्थितियों से उबर सकें।

शक्ति सदन योजना एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपनी आवश्यकता का आकलन करते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चर्चा के बाद प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाती है। योजना के तहत, किराए के परिसर में शक्ति सदन चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान शक्ति सदन योजना के कार्यान्वयन के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार को जारी की गई निधियों का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	**जारी की गई निधि (राशि करोड़ रुपए में)**
2023-24	15.17
2024-25 (26.03.2025 तक)	10.54

वर्तमान में, तमिलनाडु राज्य में 40 शक्ति सदन कार्यरत हैं जिनसे लगभग 1706 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।

*****